गणतंत्र दविस के अवसर पर कैदियों को मलिगी तीन महीने तक की छूट

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सहि ने बताया कि राज्य सरकार ने गणतंत्र दविस के अवसर पर राज्य में आपराधकि अधकिार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को वशिेष छूट दी है।

प्रमुख बदिु

- ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सहि ने बताया कि जनि अपराधयिों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधकि की अवधकि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दनि और जनि अपराधयिों को पाँच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दनि की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, जनि अपराधयिों को पाँच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दनि की छूट प्रदान की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि गणतंत्र दविस (26 जनवरी, 2023) पर कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधयिों को भी यह छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने नर्धिारति समय पर संबंधति कारागार में आत्मसमर्पण कर देते हैं। उस स्थतिमिें कारावास के बचे हुए समय में उन्हें यह छूट दी जाएगी।
- रणजीत सहि ने बताया कि जनि अपराधयिों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी और जनि अपराधयिों को हरयिाणा में आपराधकि न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकनि वे हरयिाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, उन्हें उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने का अधकिार होगा। जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैरोरस्टि एंड डसिरैप्टवि एक्टविटिीज (प्रीवेंशन) अधनियिम-1967, कार्यालय गोपनीय अधनियिम-1923, वदिेशी अधनियिम-1948, पासपोर्ट अधनियिम-1967, आपराधकि कानून संशोधन अधनियिम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दंड संहति 1860 की धारा 121 से 130, फरिौती के लयि कडिनैपगि, पोक्सो अधनियिम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधयिों को छूट नहीं दी जाएगी।
- जेल मंत्री ने बताया कि पाकसि्तान नेशनल, अपराध दंड सहति 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधकि व्यक्त, पछिले दो वर्षों के दौरान कसिी भी बड़े जेल अपराध में संलप्ति अपराधयिों के मामले में सजा काट रहे अपराधयिों को पंजाब जेल मैनुअल, हरयिाणा जेल नयिम-2022 या उस दनि लागू कसिी अन्य अधनियिम या नयिमों के तहत कोई छूट नहीं मलिगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prisoners-will-get-three-months-exemption-on-the-occasion-of-republic-day